कार्यालय–जिला स्वास्थ्य समिति (गैर संचारी रोग), जमुई
भूतल, जिला प्रबंधन इकाई, जमुई,
सदर अस्पताल परिसर, जमुई।
फोन/फैक्स – 06345-224563,
ईमेल – dhs2005jamui@rediffmail

बिहार सरकार

दिनांक 01.07.2019 को जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति एवं त्रिस्तरीय छापामार दस्ते का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला की कार्यवाही प्रतिवेदन।

उपस्थिति –यथा पंजी।

जिला स्वास्थ्य समिति जमुई एवं सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 01–07–2019 को 11:00 बजे पूर्वाहन में संवाद कक्ष, समाहरणालय, जमुई में जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति एवं त्रिस्तरीय छापामार दस्ते का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय छापामार दस्ता के सदस्यों के अलावे सभी हितधारक एवं मिडियाकर्मी उपस्थित हुए।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य –

- जमुई जिला को तम्बाकू मुक्त जिला घोषित करना।
- जिला में गठित त्रिस्तरी छापामार दस्ते का प्रशिक्षण एवं कोटपा–2003 के बारे में उन्मुखीकरण।
- कोटपा –2003 के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना।
- स्वास्थ्य विभाग के अलावे अन्य दूसरे विभागों का तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम में भूमिका एवं उनसे अपेक्षित सहयोग।
- अन्यान्य।

कार्यशाला में की गई चर्चा –

कार्यशाला का शुम्भारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया एवं डा0 नगीना पासवान, जिला नोडल पदाधिकारी, जमुई, द्वारा कार्यशाला में आये सभी प्रतिभागीयों का स्वागत किया गया।

सीड्स के कार्यपालक निदेशक श्री दीपक मिश्रा कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव को बिहार राज्य के परिपेक्ष्य में रखकर उसके हानियों के बारे मे विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पूरे देश में लगभग 13 लाख लोगों की मौत प्रति वर्ष तम्बाकू जनित रोगों से होती है। श्री मिश्रा ने बताया कि हाल ही में प्रकाशित GATS-2 के आँकड़ो के अनुसार बिहार मे तम्बाकू सेवन करने वाले व्यस्कों की संख्या 25.9 प्रतिशत है साथ ही उन्होंने बताया कि तम्बाकू उद्योग नाबालिगों को तरह–तरह हथकडों के ज़रिये तम्बाकू के लत का शिकार बानाती है ताकि वे अधिक दिनों तक तम्बाकू का सेवन करते रहें और तम्बाकू उद्योग के ग्राहक बने रहें। इसी क्रम मे श्री मिश्रा ने तम्बाकू के उपयोग से होने वाले रोगों के निदान पर सरकारी व्यय तथा इसके चलते हो रही मौतों के तुलनात्मक आँकड़ों से बताया कि इसके प्रति हमें और भी गम्भीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

श्री एडर्वड केनेडी, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, सीड्स द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम कोटपा 2003 के बारे में अपने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत रूप से जानकारी देते

कार्यालय–जिला स्वास्थ्य समिति (गैर संचारी रोग), जमुई
भूतल, जिला प्रबंधन इकाई, जमुई,
सदर अस्पताल परिसर, जमुई।
फोन/फैक्स – 06345-224563,
ईमेल – dhs2005jamui@rediffmail

हुए बताया कि किस धारा के अंतर्गत स्पॉट फाइन किया जा सकता है एवं किस धारा के अंतर्गत चालानिंग की जा सकती है। उन्होने चालानिंग कि प्रक्रिया को सुगम रुप से क्रियान्वित करने के लिए अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दी।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपने सम्बोधन में कहा कि तम्बाकू उत्पाद मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकार है और कैंसर जैसे घातक रोगों का कारक है। एक आंकड़े को बताते हुए कहा कि देश में 40 फीसदी और बिहार में 90 फीसदी लोग तम्बाकू सेवन के कारण कैंसर से पीडित होते हैं। उन्होने तम्बाकू जनित रोगों से मरने वाले व्यक्तियों के प्रति चिंता जताते हुए इसके उपयोग को नियंत्रित करने हेतु सभी पदाधिकारीयों को मिलकर मुहिम चलाने की बात कही, अधोहस्ताक्षरी महोदय ने तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को जिले से पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया खास कर स्कूल जाने बाले बच्चों को इसकी लत से बचाने की आवश्कता पर अधिक बल दिया। उन्होंने इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना के साथ–साथ सख्त कार्रवाई करें साथ ही सभी विभागों को इस कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता निभाने का निर्देश दिया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सबंधित अधिकारीयों को निर्देश दिया कि कोटपा–2003 की धाराओं के अनुपालन करवाने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाय। उन्होने जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी एवं जिला नोडल पदाधिकारी को यह निर्देश दिया कि यथाशिघ्र जिले के प्रमुख स्थानो पर तम्बाकू के दूष्परिणामों की जानकारी वाले होंडिगं लगवाना सुनिश्चित करें ताकि तम्बाकू के दुष्परिणामों की जानकारी आम लोगों तक पहूँचाया जा सके।

इसी अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला नोडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला जनसर्म्पक पदाधिकारी को निदेशित किया कि सभी सार्वजनिक स्थानों/शैक्षनिक संस्थानो एवं तम्बाकू उत्पाद बिक्री स्थलो पर कोटपा–2003 से संबंधित धाराओं का साइंनेज लगवाना सुनिश्चित कर इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देगें। जिले में कोटपा–2003 की विभिन्न धाराओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इस कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन अपने उच्च पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे। इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए जिला पदाधिकारी ने जिला नोडल पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक को निदेशित किया कि सभी विभागों के विभागाध्यक्ष एवं सभी छापामार दस्ते के अध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी अभियान चलाऐं एवं किये जा रहे कार्रवाई की नियमित समीक्षा कर अधोहस्ताक्षरी को सुचित करेंगे तथा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को सोमवारी बैठक के एजेंडे के साथ–साथ अन्य बैठको में भी शामिल किया जाय जिस से इसकी भी समीक्षा की जा सके।

कार्यशाला में निम्नलिखित निर्णय लिए गए :–

1. **सभी प्रकार की बैठक में तम्बाकू नियंत्रण पर चर्चा:–** अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि किसी भी प्रकार की औपचारिक बैठक अथवा सभा का आयोजन किसी भी स्तर पर किया जाता है तो उस बैठक अथवा सभा में तम्बाकू नियंत्रण पर जरूर चर्चा किया जाय। पंचायती राज व्यवस्था के तहत आयोजित ग्राम सभा की बैठकों में भी इस की चर्चा की जाय।

(अनुपालन :– सिविल सर्जन /जिला नोडल पदाधिकारी, जमुई)

बिहार सरकार

कार्यालय–जिला स्वास्थ्य समिति (गैर संचारी रोग), जमुई
भूतल, जिला प्रबंधन इकाई, जमुई,
सदर अस्पताल परिसर, जमुई।
फोन/फैक्स – 06345-224563,
ईमेल – dhs2005jamui@rediffmail

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

2. **छापामार दस्ता के द्वारा नियमित अभियान चलाना :–** जिले में जिला स्तरीय/ प्रखण्ड स्तरीय/ अनुमंडल स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जऐगा, जो नियमित रूप से अभियान चलाकर तम्बाकू नियंत्रण (कोटपा–2003)के विभिन्न प्रावधानो का अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

(अनुपालन :– त्रीस्तरीय छापामार दस्ता के अध्यक्ष/जिला नोडल पदाधिकारी, जमुई)

3. **कार्यालय परिसर को धूम्रपान मुक्त करने के सम्बन्ध में :–** सरकारी कार्यालयों, समाहारणालय, स्वास्थ्य संस्थान आदि में धूमपान निषेध क्षेत्र से संबधित 60 से0मी0 गुणे 45 से0मी0 का तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का का बोर्ड लगाने का निर्णय लिया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा सभी संबधित पदाधिकारियो को निदेशित किया गया की एक सप्ताह के अंदर अपने अधीनस्थ कार्यालयो में तम्बाकू मुक्त क्षेत्र से संबधित सूचना को प्रदर्शित किया जाये। सिविल सर्जन सभी स्वास्थ्य केन्द्रो में इस आशय का फ्लेक्स बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे।
(अनुपालन– सिविल सर्जन/जिला सूचना जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जिला नोडल पदाधिकारी, जमुई तथा संबधित कार्यालय प्रधान)

5. **तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार : –**

क. होर्डिग के माध्यम से कोटपा 2003 से संबधित धाराओं का व्यापक प्रचार प्रसार एवं होर्डिग का अधिस्थापन किया जाय। जिला पदाधिकारी द्वारा जिला सूचना एवं जनसपंर्क पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि वे प्रमुख स्थानो पर तंबाकू उपयोग से होने वाली बिमारियो एवं कोटपा 2003 से संबधित धाराओं का व्यापक प्रचार प्रसार होर्डिग के माध्यम से सूनिश्चित करेगें

(अनुपालन – जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी एवं जिला नोडल पदाधिकारी जमुई)

ख. बसो एवं ऑटो रिक्शा में तंबाकू उपयोग से होने वाली बिमारियो एवं कोटपा नियम से संबधित प्रचार प्रसार साम्रगी यथा पंपलेट, बोर्ड का प्रदर्शन किया जा सकता है। जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेशित किया गया वे सभी सरकारी और ब्यवसायिक वाहनों में उक्त बोर्ड का प्रदर्शन का अनुपालन एक महीने के अंदर सुनिश्चित करे।

(अनुपालन – जिला परिवहन पदाधिकारी , जमुई)

7. **नाबालिगों के द्वार तम्बाकू उत्पाद बिक्री पर प्रतिबंध :–** तंबाकू बिक्री के स्थल पर नाबालिगों को (18 वर्ष से कम) तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है सें संबधित बोर्ड भी लगाना आवश्यक है। इसके लिए जिला पदाधिकारी ने जिला नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया की वे सर्वप्रथम जमुई शहर के तम्बाकू उत्पाद के थोक विक्रेताओं के साथ बैठक का आयोजन करते हुए इसका अनुपालन सूनिश्चित करायें। इस प्रयोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी का सहयोग लिया जाये ।

(अनुपालन – जिला नोडल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, जमुई)

बिहार सरकार

कार्यालय–जिला स्वास्थ्य समिति (गैर संचारी रोग), जमुई
भूतल, जिला प्रबंधन इकाई, जमुई,
सदर अस्पताल परिसर, जमुई।
फोन/फैक्स – 06345-224563,
ईमेल – dhs2005jamui@rediffmail

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

8. **तंबाकू मुक्त शैक्षणिक सस्थांन :–** शैक्षनिक संस्थानो के मुख्य प्रवेश द्वार पर शिक्षण संस्थानो के 100 गज के दायरे मे तंबाकू पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। संबधित बोर्ड का प्रदर्शन किया जाना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया की वे एक सप्ताह के अंदर स्कूलों में इस बोर्ड के प्रदर्शन का अनुपालन सूनिश्चित करें एवं सभी विद्यायलय के अंदर धारा 4 का साइनेज प्रदर्शित कर विद्यायलय को तम्बाकू मुक्त घोषित करवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन – जिला शिक्षा पदा0 एवं नोडल पदाधिकारी , जमुई)

9. **जिला अन्तर्गत लगाये गये सारे तम्बाकू पदार्थो के प्रचार बोर्ड हटवाना :–** तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कोटपा कि धारा 5 के अनुसार जिला अन्तर्गत लगाए गए सारे तम्बाकू पदार्थो के प्रचार बोर्ड पुलिस पदाधिकारीयों की मदद से यथा शिघ्र हटवाने का निर्देश जिला नोडल पदाधिकारी एवं नगर निगम प्रशासक, जमुई को दिया गया एवं विधि व्यवस्था की मासिक बैठक में इसकी सूचना देने का निर्देश दिया गया ।

(अनुपालन – नोडल पदाधिकारी एवं नगर प्रशासक, जमुई)

10. **तम्बाकू मुक्त समाहरणालय परिसर :–** अधोहस्ताक्षरी द्वारा निदेशित किया कि समाहरणालय परिसर में कोई व्यक्ति तम्बाकू सेवन करता हुआ ना पाया जाये, पाये जाने की स्थिति में वे अपने विभाग के प्रभारी को सूचित करेंगे ताकि संबंधित व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जा सके। साथ हीं सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जमुई को निदेशित किया गया कि समाहरणालय के सभी द्वार पर तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का दिवार लेखन कराना सुनिश्चित करें। यदि विभागीय प्रभारी अनुपलब्ध है तो जिला नोडल पदाधिकारी (तंबाकू नियत्रंण, जमुई) को भी सूचित किया जा सकता है। इससे पूरे जिले में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है साथ ही इससे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम को बल मिलेगा।

(अनुपालन – सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी एवं जिला नोडल पदाधिकारी, जमुई)

11. **तम्बाकू मुक्त स्वास्थ्य केन्द्र :–** जमुई जिले के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सिविल सर्जन, जमुई को निदेश दिया गया। साथ ही उन्हे निदेशित किया गया कि जिले के सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों के मुख्य द्वार पर "तम्बाकू निषेध क्षेत्र" एवं "इस परिसर में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है " बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। छापामारी दल, छापेमारी के दौरान यह सुनिश्चित करेगी कि स्वास्थ्य केन्द्रों के पास तंबाकू पदार्थ की बिक्री नहीं हो रही हो तथा उल्लंघन की स्थिति में दोशी व्यक्ति पर रूपये 200 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को निदेशित किया गया कि इस आशय की होर्डिंग सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

(सिविल सर्जन / जिला नोडल पदाधिकारी, जमुई)

12. **विद्यालयों में जागरूकता :–** स्कूली बच्चों को तंबाकू उपयोग से होने वाले खतरों से अवगत कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रभात फेरी के माध्यम से

कार्यालय–जिला स्वास्थ्य समिति (गैर. संचारी रोग), जमुई
भूतल, जिला प्रबंधन इकाई, जमुई,
सदर अस्पताल परिसर, जमुई।
फोन/फैक्स – 06345-224563,
ईमेल – dhs2005jamui@rediffmail

बच्चों के साथ–साथ आम जनों को भी तंबाकू उपयोग से संबंधित खतरों पर वाद–विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करते हुए, छात्रों को जागरूक बनाया जा सके।

साथ ही स्कूलों में बच्चों का एक बिग्रेड का गठन किया जाये, जिनका कार्य होगा कि वैसे स्कूली बच्चों, जो धूम्रपान के आदी हैं कि पहचान करते हुए प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे ताकि प्रधानाध्यापक वैसे बच्चों की काउंसलिंग का प्रयास कर सके। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिविल सर्जन अथवा जिला नोडल पदाधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि विद्यालयों में प्रार्थना के पश्चात् तंबाकू उपयोग से होने वाले खतरों से बच्चों को अवगत कराया जाये तथा प्रधानाचार्यो के साथ अन्य बैठकों में भी इस संबंध में चर्चा की जाय।

(अनुपालन –जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई)

13. **एन0आई0सी0 बेवसाइट पर अपलोड करने के संबंध में :–** जिले में चल रहे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से संबंधित कोई भी आदेश, कार्यवाही एवं सभी धाराओं से संबंधित साइनेज जिला एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। जिला नोडल पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वे जिला एन0आई0सी0 के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(जिला नोडल पदाधिकारी, जमुई)

14. **नियमित छापामारी के संबंध मे : –** अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप–पुलिस अधीक्षक (मख्यालय) को निदेश दिया गया कि छापामार दलों के द्वारा सप्ताह में दो बार छापामारी किया जाय। उन्होने समीक्षा हेतु मासिक क्राईम रिभ्यु की बैठक मे इस विषय का भी समावेश किये जाने का निर्देश दिया ताकि पुलिस विभाग द्वारा जिला स्तर पर इसकी समीक्षा की जा सके ।

15. **जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की नियमित बैठक के संबंध में :–** अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति की समीक्षात्मक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में कराने का निदेश दिया। साथ ही संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिला स्वास्थ्य समिति, जमुईकी मासिक समीक्षात्मक बैठक में तम्बाकू नियंत्रण से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करावें।

(अनुपालन :– जिला नोडल पदाधिकारी–सह– समन्वयक, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

कार्यशाला के अन्त में सिविल सर्जन–सह–सचिव जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई ने कार्यशाला में आये सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही बैठक में भाग लेने के लिए विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी, गैर सरकारी/स्वयंसेवी संस्थानों के पदाधिकारीयों एवं मिडियाकर्मियों को धन्यवाद देते हुये बैठक की कार्यवाही का समापन किया।

30/8/2017

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।

कार्यालय–जिला स्वास्थ्य समिति (गैर संचारी रोग), जमुई
भूतल, जिला प्रबंधन इकाई, जमुई,
सदर अस्पताल परिसर, जमुई।
फोन/फैक्स – 06345-224563,
ईमेल – dhs2005jamui@rediffmail

बिहार सरकार

National Programme for Prevention and Control of Diabetes, Heart Disease & Stroke

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

ज्ञापांक 48

दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, /जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, जमुई/विषेश नोडल पदाधिकारी, तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, जमुई / पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, जमुई/जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट/जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जमुई / सिविल सर्जन–सह–सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक सोशियो इकानॉमिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलॉपमेंट सोसाइटी (सीड्स), 32 पूष्कर अपार्टमेंट, गाँधी मूर्ति, पटेल नगर, पटना–800023, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर /पुलिस उप महानिरीक्षक, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

30/8/2019

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
जमुई।